

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1385/2014/नागौर

मैसर्स एम.आर.ऑयल एण्ड दाल मिल,
कुचामनसिटी, नागौर।

बनाम

उपायुक्त (अपील्स),
वाणिज्यिक कर अजमेर।

.....अपीलार्थी

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री .कृष्ण गोपाल खत्री,
अभिभाषक।

श्री जमील जई,
उपराजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 03/05/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के अपील संख्या 17/13-14/वैट/सीएसटी/नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, मकराणा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23/24 के तहत कुल मांग राशि रूपये 3,17,443/- को यथावत् रखा गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा चने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर कच्चे माल का 83 प्रतिशत अनुपातिक कर योग्य दाल का तथा शेष 17 प्रतिशत कर मुक्त चनाचूरी का निर्माण करता है, दाल के निर्माण में कर मुक्त सह-उत्पाद चनाचूरी का निर्माण भी होता है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत बिक्री विवरण पत्रों के अनुसार कर मुक्त बिक्री 3,67,34,332/- तथा कर योग्य बिक्री 19,31,10,657/- किया जाना माना। अपीलार्थी ने कुल इनपुट 18,87,434/- क्लेम किया है इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 18 के तहत कर मुक्त माल को समानुपातिक सिद्धान्त के आधार पर आगत कर 3,20,872/- रिवर्स करते हुए अस्वीकार किया है। इस रिवर्स आईटीसी में से राशि रूपये 21,113/- अधिक रिवर्स को कम किया व ब्याज रूपये 1,530/- कुल राशि रूपये 7,651/- का समायोजन किया गया। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कुल राशि रूपये 3,17,443/- को जरिये अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने उक्त अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कच्चे माल के रूप में चना को प्रयुक्त करके मुख्यतः 83 प्रतिशत कर योग्य दाल का उत्पादन किया जाता है, इस पर सह उत्पाद के रूप में चनाचूरी का निर्माण भी हो जाता है, इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अलग से चनाचूरी का निर्माण नहीं किया जाता है, तो कच्चे माल चना की खरीद पर चुकाया गया आगत कर पर आई.टी.सी. स्वीकार की जानी चाहिए, एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाया गया रिवर्स टैक्स एवं उस पर आरोपित ब्याज को अपास्त किया जाना चाहिए। आगे उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के निर्णयों का विरोध करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में कहा कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कच्चे माल चना में से 83 प्रतिशत तेल का निर्माण कर शेष 17 प्रतिशत कर मुक्त माल चनाचूरी का निर्माण किया जाता है। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इनपुट का समानुपातिक आंकलन किया जाकर आई.टी.सी. क्लेम राशि रूपये 3,14,751/- व कम कर जमा पर आरोपित ब्याज राशि रूपये 2,692/- को रिवर्स किया गया है, जो कि नियमानुसार सही है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 को उद्धरित किया है। आगे उन्होंने अपने कथन में कहा कि अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने अधिनियम की धारा 18 के तहत चना के निर्माण में प्रयुक्त समस्त कच्चे माल की खरीद पर चुकाये गये कर का आईटीसी चाहा है। प्रत्यर्थी के उपराजकीय अभिभाषक ने बताया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अभिनिर्णय में वेट अधिनियम की धारा 18(1)(g) के विशिष्ट प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल गेहूं से निर्मित कर मुक्त माल चौकर की बिक्री की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होने से रिवर्स टैक्स आरोपण को विधिसम्मत माना गया है।

अधिनियम की धारा 18(1)(g) निम्न प्रकार से है-

18. Input Tax Credit :- (1.) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of-

लगातार.....3

(e) being used as raw material [except those as may be notified by the State Government,] in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of Inter-state trade or commerce;

however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.

7. अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से आज्ञाच्य अवधि के दौरान प्रयुक्त कच्चे माल चना की खरीद पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल "चनाचूरी" की बिक्री पर आई.टी.सी. की देयता नहीं मानते हुए इसका रिवर्स टैक्स एवं ब्याज आरोपित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 15.04.2014 में किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

8. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य